न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 148 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/159)
पंजीयन दिनांक– 10.03.2021
निर्णय दिनांक– 24.08.2021

1. श्री रामचन्द्र पिता नारायण धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मोतीलाल पिता नारायण धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रामनारायण पिता हुक्मीचंद धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जीवनलाल पिता हुक्मीचंद धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती रामनाथी बाई बेवा हुक्मीचंद धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री सुरेश पिता नारायण धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री भेरूलाल पिता मांगीलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री मदनलाल पिता मांगीलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री सुरेश पिता मांगीलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्री भगवतीलाल पिता सुखलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्री सिताराम पिता सुखलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्री लाभचंद पिता सुखलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
11. श्री रतनलाल पिता उदयलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। **(कार्यवाही ड्रोप की गई)**

12. श्री लाभचंद पिता उदयलाल धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। **(कार्यवाही ड्रोप की गई)**
13. श्री लक्ष्मीलाल पिता कालुजी, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
14. श्री योगराज पिता रामलाल, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
15. श्री प्यारचंद पिता रामलाल, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शाहनवाज खान – अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 10 व 13 से 15 **(अंडरटेकिंग बवक्त बहस अनुपस्थित)**

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड़ अधिकारी, बड़ीसादड़ी के प्रकरण
संख्या 116/2016 निर्णय दिनांक 02.06.2016

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के प्रकरण संख्या 116/2016 निर्णय दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 28.05.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 भू–राजस्व अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश कर निवेदन किया कि मौजा लक्ष्मीपुरा के खाता संख्या 186 की आराजी संख्या 110 रकबा 1.96 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 429 रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के खातेदारी की है और उनके नाम जमाबंदी में दर्ज है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्ररकण संख्या 116/2016 दर्ज कर निर्णय दिनांक 02.06.2016 से पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश पारित किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.06.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– ***"प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सुनी गई। तहसीलदार, बड़ीसादड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा लक्ष्मीपुरा ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी नम्बर 110 रकबा 1.96 हैक्टेयर, आराजी 429 रकबा 1.43 हैक्टेयर की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढ़ी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10, 13 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री शाहनवाज खान द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की परन्तु, बवक्त बहस अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट की एक तरफा बहस दिनांक 29.07.2021 को सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 के विरूद्ध अपीलांट के निवेदन पर कार्यवाही **Drop** की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उपस्थिति बता आदेश पारित किया है, जबकि आदेश की दिनांक को अपीलांट्स उपस्थित नही थे, और ना ही उन्हें आदेश की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के खातेदारी की भूमि तथा अपीलांट्स की भूमि के मध्य 5 से 10 फीट चौडी मेड़ (पाली) बनी हुई है जो लगभग 50–60 वर्ष पुरानी है जिसके स्पष्ट प्रमाण पाली पर खडे फलाश के वृक्ष लगभग 25 से 30 फीट उंचाई होकर काफी पुराने है। अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलांट की भूमि में पत्थर गाढ़ दिये जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा दो बार पूर्व में भी नपती करवाई गई जिसमें किसी प्रकार का कोई हैर फैर नहीं आया था। वर्तमान में अपीलांट की भूमि को अपनी सीमा में मिला दी जिससे स्पष्ट है कि अमीन/पटवारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की भूमि की नपती करने में गलती की हैं। क्योंकि जो पाली बनी हुई है वह पाली 50–60 वर्ष से भी अधिक पुरानी है उस पर बड़े–बड़े वृक्ष लगे हुए है तथा पेमाईश के वक्त भी पाली थी। उक्त गलत नपती से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की भूमि में लगभग 8 से 10 बिस्वा भूमि उनकी नियत भूमि से भी अधिक भूमि रेकार्ड में दर्ज हो गई है। जिससे स्पष्ट है की पत्थरगढ़ी दुर्भावनापूर्ण आशय से विधि विरूद्ध की गई है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 30.05.2016 को प्रस्तुत हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 02.06.2016 को अपीलाण्ट को सुने बिना व नोटिस दिये बिना पत्थरगढ़ी का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश की पालना के सन्दर्भ में भी जो कि दिनांक 25.06.2018 को की गयी है, की जानकारी भी अपीलाण्ट को होना प्रकट नहीं होता।

ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 जा.दी. मियाद आवेदन में वर्णित 12.05.2019 से पूर्व अपीलाण्ट को प्रकरण की जानकारी हो। अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 के आवेदन व अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपील के गुणावगुन पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट ने प्रमुखतः यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है तथा उक्त आदेश की पालना के समय भी उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 03.05.2016 को पेश हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 02.06.2016 को दर्ज कर विवादित आराजीयात की पत्थरगढ़ी विपक्षीगण की मौजूदगी में करने का आदेश पारित कर दिया। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करने के पूर्व रेस्पोंडेण्ट को सुनना वांछनीय होता है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इसी प्रकार उक्त आदेश दिनांक 02.06.2016 की पालना में पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट 10.09.2018 को तहसीलदार ने प्रस्तुत की है एवं मौके पर दिनांक 25.06.2018 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी करवायी गयी है जिसमें भी यह वर्णित है कि प्रतिवादी सूचना के बाद श्री रामचन्द उपस्थित है, परन्तु वह विपक्षी अपीलाण्ट को सूचित किया गया हो, ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है। तद्नुसार पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना भी अपीलाण्ट को सुने बिना किया जाना प्रकट आता है। समग्रतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को एवं अपीलाण्ट को विधिवत्

सुने बिना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध है, अतएवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर विधिपूर्वक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर